Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 207-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, NOVEMBER 27, 2017 (AGRAHAYANA 5, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 नवम्बर, 2017

संख्या एफ०जी० 3–120/2017/24617.– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20), की धारा 40 की उपधारा (2) के साथ पठित उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, अधिसूचना संख्या एफ.जी. 3/120/2017/17601, दिनांक 5 सितम्बर, 2017 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् ;

1. (1) ये नियम हरियाणा खाद्य सुरक्षा नियम, 2017, कहे जा सकते है । संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 20);

(ख) "अपीलार्थी" से अभिप्राय है, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध राज्य आयोग में अपील दायर करने वाला कोई पक्षकार;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2009 के अधीन नियुक्त अनुज्ञप्ति अधिकारी तथा सरकारी कर्मचारियों के मामलों में, किसी सम्बन्धित विभाग का प्रधान सचिव या सचिव या निदेशक जैसी भी स्थिति हो;

(घ) "विभाग" से अभिप्राय है, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा;

(ङ) "उपायुक्त" से अभिप्राय है, संबंधित जिले का उपायुक्त;

(च) "जिला शिकायत निवारण अधिकारी" से अभिप्राय है, धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त या पदाभिहित कोई अधिकारी;

(छ) 'नोडल अधिकारी' से अभिप्राय है, विभाग के मुख्यालय पर कोई अधिकारी, जो उप निदेशक की पदवी से नीचे का न हो, जिला स्तर पर जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक और खण्ड स्तर पर सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो;

(ज) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगें जो उन्हें क्रमशः अधिनियम में दिये गये हैं।

प्राथमिक परिवार की पहचान।

3. (1) कोई व्यक्ति, जो अनुसूची–I में यथा अधिकथित पात्रता मापदण्ड को पूरा करता है, प्राथमिक परिवार के रूप में परिलक्षित होगा।

(2) पात्र परिवार, जब कभी उसके जिले में आवेदन आमन्त्रित किए जाते हैं, सम्बद्ध उपायुक्त या अपर उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा यथा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को अनुसूची–II के रूप में संलग्न प्रोफार्मा में आवेदन कर सकता है:

परन्तु मापदण्ड भारत सरकार द्वारा नियत सीमाओं के भीतर परिलक्षित प्राथमिक परिवार को सूकर बनाने तथा पंक्तिबद्ध करने के लिए रूपान्तरित किया जा सकता है।

आन्तरिक शिकायत निवारण मैकेनिज्म। धारा 14

4. (1) निशुल्क सहायता लाईन संख्या तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) पोर्टल से प्राप्त प्रत्येक शिकायत को एक यूनिक शिकायत नम्बर दिया जाएगा।

(2) उप निदेशक विभाग की वैबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन ई–पी.डी.एस. पोर्टल के माध्यम से या इस सम्बन्ध में स्थापित टेलिफोनिक हैल्पलाईन के माध्यम से प्राप्त सभी शिकायतों की मॉनिटरिंग करेगा और निवारण के लिये उसे सम्बद्ध नोडल अधिकारी को अग्रेसित करेगा।

(3) सम्बद्ध नोडल अधिकारी द्वारा तथ्यों के सत्यापन के बाद, वह इसके निवारण के लिये उपचारित कार्रवाई प्रस्तावित करेगा और शिकायतकर्ता को रीति के बारे में जिसमें शिकायत का निवारण किया गया है, शिकायत की प्राप्ति के तीस दिन के अवधि के भीतर लिखित में या ई–मेल या दूरभाप के माध्यम से सूचित करेगा।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी। धारा 15.

5. (1) उपायुक्त, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कृत्य करेगा।

(2) प्रत्येक जिले के सम्बन्ध में पता, दूरभाप नम्बर, ई–मेल पता, फसिमाईल नम्बर विभाग के प्रत्येक कार्यालय, उचित मूल्य की दुकान, विद्यालय, आंगनवाड़ी, अन्य सार्वजनिक स्थान, वैबसाईट के साथ–साथ जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शित किया जायेगा।

शिकायतों के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया। धारा 15.

6. (1) अधिनियम के अध्याय II के अधीन खाद्यान्न या आहार की हकदारी के वितरण से संबधित मामलों में कोई व्यथित व्यक्ति, अपनी शिकायत लिखित में या ई–मेल के माध्यम से या शिकायत बक्से में शिकायत डालते हुए, जो जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय में, चयनित उचित मूल्य की दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालय, आंगनवाड़ी इत्यादि में लगाया जाएगा, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के पास दायर तथा रजिस्टर करवा सकता है।

(2) शिकायतें शिकायतकर्ता के विशिप्ट ब्योरों तथा सम्पर्क सूचना सहित दायर की जाएगी। कोई भी गुमनाम शिकायत ग्रहण नहीं की जाएगी।

शिकायतों के निपटान के लिए प्रक्रिया। धारा 15.

7. (1) यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी की सन्तुप्टि हो जाती है, तो वह सम्बन्धित दस्तावेजों सहित सम्बद्ध अधिकारियों या अभिकरण (भारतीय खाद्य निगम, कान्फैड, हैफेड, हरियाणा भण्डारण निगम, डिपुधारक और आंगनवाड़ी इत्यादि), जिनके विरूद्ध शिकायत की गई है, से स्पप्टीकरण मांगेगा। अपेक्षित स्पप्टीकरण तथा दस्तावेज, सम्बद्ध अधिकारी या अभिकरण जिसके विरूद्ध शिकायत की गई है, द्वारा नोटिस की प्राप्ति के सात दिन के भीतर जिला शिकायत निवारण अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) शिकायत में किए गए दावों पर पक्षकारों के बीच असहमति के निप्कपट आधारों के मामलें में, जिला शिकायत निवारण अधिकारी सुनवाई की तिथि, समय तथा स्थान नियत करते हुए मामलें में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करेगा। अधिकारी पक्षकारों के अनुरोध पर या स्वप्रेरणा से कार्यवाही लागत सहित या रहित किसी अन्य तिथि के लिए स्थगित कर सकता है।

(3) सुनवाई के लिए नियत तिथि को, जिला शिकायत निवारण अधिकारी पक्षकारों को सुनेगा तथा साक्ष्य अभिलिखित करेगा। पक्षकारों की सुनवाई के बाद तथा साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, जिला शिकायत निवारण अधिकारी शिकायत की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन के भीतर समुचित आदेश पारित करेगा:

परन्तु यदि जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा नियत सुनवाई की तिथि को शिकायतकर्ता गैरहाजिर है, तो वह शिकायत खारिज कर सकता है। तथापि, यदि उस द्वारा नियत तिथि को बचाव पक्षकार गैरहाजिर है, तो वह मामले में एकपक्षीय जांच के लिए अग्रसर हो सकता है तथा तदानुसार निर्णय कर सकता है।

(4) शिकायतकर्ता को लिखित में या इलेक्ट्रोनिक ढंग में निर्णय की सूचना दी जायेगी।

8. (1) शिकायतों की जांच करते समय जिला शिकायत निवारण अधिकारी को किसी व्यक्ति से निम्नलिखित की अपेक्षा करने की शक्तियां होगी,–

(क) व्यक्तियों, इस प्रकार अपेक्षित, जो मांग में विनिर्दिष्ट की जाएं, की अभिरक्षा में या के नियन्त्रणाधीन ऐसी पुस्तकों, लेखों, दस्तावेजों या कोई अन्य सामग्री को उसके समक्ष प्रस्तुत करने तथा उसकी जांच अनुज्ञात करने;

(ख) ऐसी सूचना प्रस्तुत करने, जो अपेक्षित हो।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी की शक्तियां। धारा 15.

(2) शिकायत का निर्णय करते समय, जिला शिकायत निवारण अधिकारी इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार उचित मूल्य की दुकान के स्वामी के विरूद्ध हरियाणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियंत्रण) आदेश, 2009 के अनुसार तथा हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के अनुसार सम्बद्ध विभाग के कर्मचारी के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकता है, यदि वह जिम्मेवार पाया जाता है।

9. निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, अधिमान्यत पूर्ववर्ती मास के सातवें दिन तक मासिक आधार पर शिकायतों के निपटान की मानीटरिगं करेगा और पूर्ववर्ती मास के पन्द्रहवें दिन तक राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट अग्रेसित करेगा। शिकायतों के निपटान की मानीटरिंग। धारा 15.

10. जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा प्राप्त तथा निपटाई गई शिकायतों की मासिक रिपोर्ट पूर्ववर्ती मास के 15वें दिन तक राज्य सरकार को भेजी जाएगी। राज्य सरकार पूर्ववर्ती मास की समाप्ति तक खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, भारत सरकार को सम्पूर्ण रिपोर्ट के रूप में राज्य की समेकित मासिक रिपोर्ट भेजेगी। मासिक रिपोर्ट। धारा 15.

11. (1) जिला शिकायत निवारण अधिकारी के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य आयोग को सम्बोधित करते हुये व्यक्तिगत रूप में या पंजीकृत डाक द्वारा राज्य आयोग को अपील का ज्ञापन दायर कर सकता है। अपील की प्रक्रिया। धारा 15 (7)

(2) अपील के प्रत्येक ज्ञापन के साथ जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, की सत्यापित प्रति और ऐसे अन्य दस्तावेज, जो ज्ञापन में वर्णित आक्षेप के समर्थित आधार के लिये अपेक्षित हों, संलग्न किये जायेंगे।

(3) जब समयावधि की समाप्ति के बाद अपील दायर की जाती है, तो ज्ञापन के साथ तथ्य, जिन पर आवेदक राज्य आयोग की संतुष्टि के लिये निर्भर है, कथित करते हुये शपथपत्र से समर्थित आवेदन संलग्न किया जाएगा कि उसके पास समय अवधि में अपील न करने के पर्याप्त कारण हैं।

(4) पक्षकारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं को सुनवाई की तिथि को या किसी अन्य दिन, जिसको सुनवाई स्थगित की जा सकती है, को राज्य आयोग के समक्ष हाजिर होना बाध्यकारी होगा। यदि अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसी तिथि को हाजिर होने में असफल रहता है, तो राज्य आयोग अपने विवेक से या तो अपील खारिज कर सकता है या मामले का निर्णय मैरिट पर कर सकता है। यदि प्रतिवादी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता ऐसी तिथि को हाजिर होने में असफल रहता है, तो राज्य आयोग एकपक्षीय कार्रवाई करेगा और मामले का निर्णय मैरिट पर एकपक्षीय करेगा।

(5) अपीलार्थी, राज्य आयोग की अनुमति के सिवाए, ज्ञापन में कथित नहीं किए गए आक्षेप के किसी आधार के समर्थन में अनुरोध नहीं करेगा या सुना नहीं जाएगा किन्तु राज्य आयोग, अपील का निर्णय करने में इस नियम के अधीन ज्ञापन में बताए गए या राज्य आयोग द्वारा अस्वीकार किए गऐ आक्षेपों के आधारों को परिसीमित नहीं करेगा :

परन्तु आयोग का अपना निर्णय किसी अन्य आधार पर तब तक आधारित नहीं होगा जब तक पक्षकार, जो उससे प्रभावित है, को राज्य आयोग द्वारा सुनवाई का कम से कम एक अवसर नहीं दिया गया हो।

12. राज्य आयोग सभी रिकार्ड रखेगा जिसमें उनके निपटान से सम्बन्धित अपीलें तथा रिकार्ड शामिल होंगे। रिकार्ड का रख–रखाव। धारा 16

मोहन तथा लोगों। धारा 16.

13. राज्य आयोग की मोहर तथा लोगो ऐसा होगा जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

पुनरीक्षण तथा मॉनीटरिंग। धारा 16.

14. राज्य आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। विभाग का प्रशासकीय सचिव, नियमित अन्तरालों पर राज्य आयोग के कार्यों का पुनरीक्षण करेगा।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्य से सम्बन्धी रिकार्ड। धारा 27 तथा 28.

15. (i) राज्य में पात्र लाभार्थियों तथा खाद्यान्नों के आंबटन की सभी सूचियां राज्य सरकार द्वारा अपनी वैबसाईट पर नियमित रूप से अद्यतन की जाएंगी;

(ii) विभाग पांच सदस्यों, जिनमें एक सदस्य अनुसूचित जाति, एक पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित होगा तथा एक महिला होगी, से मिलकर बनने वाली समिति का गठन करते हुये सम्बद्ध ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में दो बार उचित मूल्य की दुकानों के कार्यों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्य का ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में सामाजिक लेखापरीक्षा कराएगी। शहरी क्षेत्र में समिति उसी प्रकार सम्बन्धित नगर परिषद/समिति/निगम द्वारा गठित की जाएगी।

सतर्कता समितियों की संरचना। धारा 29.

16. राज्य, जिला, खण्ड तथा उचित मूल्य की दुकान स्तर पर सतर्कता समितियों की संरचना अनुसूची–III के अनुसार होगी।

अनुसूची–।

{देखिए नियम 3(1)}

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन प्राथमिक परिवार की पहचान के लिए पात्रता मापदण्ड

क्रम संख्या	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र
1	2	3
1.	अन्त्योदय अन्न योजना(ए.ए.वाई.) परिवार भारत सरकार की वर्तमान स्कीम के अनुसार स्वतः शामिल (कवर्ड) होंगे।	अन्त्योदय अन्न योजना(ए.ए.वाई.) परिवार भारत सरकार की वर्तमान स्कीम के अनुसार स्वतः शामिल (कवर्ड) होंगे।
2.	सभी गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के परिवार प्राथमिक परिवारों में स्वतः शामिल (कवर्ड) होंगे।	सभी गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के परिवार प्राथमिक परिवारों में स्वतः शामिल (कवर्ड) होंगे।
3.	सभी बेघर परिवार	कच्चे घरों में रहने वाले सभी परिवार या सभी बेघर परिवार
4.	ऐसे परिवार जिनके परिवार का मुखिया अशक्त व्यक्ति है।	ऐसे परिवार जिनके परिवार का मुखिया अशक्त व्यक्ति है।
5.	किसी विधवा या एकल महिला (अविवाहित/पृथक/परित्यक्त) मुखिया वाले सभी परिवार	किसी विधवा या एकल महिला (अविवाहित/पृथक/परित्यक्त) मुखिया वाले सभी परिवार
6.	भूमिहीन कृषि श्रमिकों के सभी परिवार	व्यावसायिक रूप से नाजुक परिवार जहां आमदनी का मुख्य स्रोत इन व्यावसायों में से एक या अधिक हैं जैसे सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर (भारत सरकार, राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र या बोर्डों/निगमों/उद्यमों/उपक्रमों अन्य स्वायत निकायों/प्राधिकरणों जैसे विश्वविद्यालय आदि, नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका समिति, सुधार न्यास इत्यादि) के संविदात्मक/वर्क चार्जड/दैनिक मजदूर • कूड़ा उठाने वाले • भीखमंगे • घरेलू कर्मकार • गली विक्रेता/मोची/फेरीवाला/गलियों में कार्य करने वाले अन्य सेवा प्रबन्धक • निर्माण कर्मकार/नलसाज/चिनाई मिस्त्री/ श्रमिक/पेन्टर/वेल्डर/सुरक्षा गार्ड/ कुली/सिर पर भार उठाने वाले कर्मकार • स्वीपर/सप्लाई कर्मचारी/माली • गृह–आधारित कर्मकार/कारीगर/दस्तकारी कर्मकार/दर्जी • प्राईवेट परिवहन कर्मकार/चालक/परिचालक/चालकों तथा परिचालकों के सहायक/छकड़ा चलाने वाले/रिक्शा चालक इत्यादि

		• दुकान कर्मकार / सहायक / लघु स्थापनाओं में सेवादार / सहायक / डिलीवरी सहायक / परिचर / वेटर • इलैक्ट्रीशियन / मैकेनिक / पलम्बर / मुरम्मत कर्मकार • धोबी / चौकीदार • किसी स्रोत से आमदनी न होने वाले व्यक्ति • अन्य जो राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं
7.	लघु तथा सीमान्त किसानों के सभी परिवार (दो एकड़ तक भूमि के स्वामी)	
8.	व्यावसायिक रूप से नाजुक परिवार जहां आमदनी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित व्यवसायों में से एक या अधिक हैः– • कृषि • हस्त आकस्मिक श्रमिक • अंशकालिक या पूर्ण कालिक घरेलू सर्विस • खाना ढूंढने वाले, कूड़ा चुनने वाले • गैर–कृपक अपना एकाउंट उद्यम • भीख मांगना / दान / भिक्षा संग्रहण • अन्य जो राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा विर्निदिष्ट किए जाएं।	
	निम्नलिखित के सिवाएः– 1. सभी आयकर देने वाले 2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अधीन पंजीकृत सभी माल और कर निर्धारिती 3. सभी सेवाकर देने वाले 4. कर देने वाले सभी व्यावसायिक 5. किसी प्रकार की दो एकड़ से अधिक भूमि वाले सभी परिवार 6. चार पहिया मोटर रखने वाला कोई परिवार 7. कोई परिवार जो राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार से रजिस्टर्ड उद्यम (उद्यमों) का स्वामी है / चलाता है। 8. कोई परिवार जिसके पास मैकेनाईज्ड चार पहिया कृषि उपकरण है। 9. भारत सरकार, राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्रों या बोर्डों / निगमों / उद्यमों / उपक्रमों अन्य स्वायत निकायों / प्राधिकरणों जैसे विश्वविद्यालय आदि, नगर निगम, नगर परिपद, नगपालिका समिति, सुधार न्यास इत्यादि के सभी कर्मचारी। 10. सभी साधनों से एक लाख रूपए से अधिक की वार्पिक आमदनी वाला कोई परिवार 11. कोई ऐसा अन्य परिवार जिसे राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित मापदण्ड के अनुसार वर्जित किया जाए।	**निम्नलिखित के सिवाए :–** 1. सभी आयकर देने वाले 2. हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) के अधीन पंजीकृत सभी माल और कर निर्धारिती 3. सभी सेवाकर देने वाले 4. कर देने वाले सभी व्यावसायिक 5. सौ वर्गगज से अधिक क्षेत्र के प्लाट पर निर्मित मकान रखने वाला कोई परिवार 6. एयर कन्डीशनर या चार पहिया मोटर वाला कोई परिवार 7. भारत सरकार, राज्य सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र या बोर्डों / निगमों / उद्यमों / उपक्रमों अन्य स्वायत निकायों / प्राधिकरणों जैसे विश्वविद्यालय आदि, नगर निगम, नगर परिपद, नगपालिका समिति, सुधार न्यास इत्यादि के सभी कर्मचारी। 8. सभी साधनों से एक लाख रूपये से अधिक की वार्पिक आमदनी वाला कोई परिवार 9. कोई ऐसा अन्य परिवार जिसे राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित मापदण्ड के अनुसार वर्जित किया जाए।

अनुसूची–II

{देखिए नियम 3(2)}

प्राथमिक परिवारों की सूची में शामिल होने हेतु स्वयं घोषणा फार्म राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)

परिवार के मुखिया द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन हरियाणा राज्य में प्राथमिक परिवारों में परिवार को शामिल करने के लिए दिए जाने वाला घोषणा फार्म।

मैं.................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमति..................................निवासी... मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि:–

(i) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है।

(ii) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम 19) के अधीन निर्धारिती कर दाता के रूप में पंजीकृत नहीं है।

(iii) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य सेवा कर दाता नहीं है।

(iv) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य व्यवसायिक कर दाता नहीं है।

(v) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य दो एकड से अधिक भूमि का स्वामी नहीं है।

(vi) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य चौपहिया मोटर वाहन (जैस कार, वैन, फोरव्हीलर, ट्रक इत्यादि) का स्वामी नहीं है।

(vii) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत किसी भी उद्यम का स्वामी या संचालक नहीं है।

(viii) मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या परिपद/सहकारिता/फर्म/उपक्रम आदि, स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि, नगर निगम/नगर परिपद/नगर पालिका या सुधार न्यास इत्यादि का कर्मचारी नहीं है।

(ix) सभी मदों से मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की वार्पिक आय एक लाख रूपऐ से अधिक नहीं है।

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दिए गए सभी तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान पर आधारित है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि मेरे द्वारा दिये गये उपरोक्त तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं, तो मैं किसी विधिक कार्रवाई के लिए दायी हूँगा/हूँगी। मैं यह घोषणा भी करता हूँ/करती हूँ कि मैं सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित जुमार्ने/ब्याज सहित उत्पाद/सहायता का बाजार मूल्य वापस करने के लिए दायी हूँगा/हूँगी। भविष्य में, यदि मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अपात्र बन जाता है, तो मैं जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक को समय पर सूचित करने के लिए बाध्य हूँगा/हूँगी और ऐसी योजनाओं के अधीन दिए जाने वाला कोई लाभ प्राप्त नहीं करूंगा/करूंगी।

स्थान : .... हस्ताक्षर ....

दिनांक : .... नाम : ....

(शहरी क्षेत्र हेतु)

मैं..................................पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमति........................निवासी.. मेरे सर्वोत्तम ज्ञान से घोषण करता हूँ/करती हूँ कि:–

(i) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है।

(ii) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम 19) के अधीन निर्धारिती कर दाता के रूप में पंजीकृत नहीं है।

(iii) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य सेवा कर दाता नहीं है।

(iv) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य व्यवसायिक कर दाता नहीं है।

(v) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य दो एकड़ से अधिक भूमि का स्वामी नहीं है।

(vi) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य नगर निगम या नगर परिषद के अधीन एक सौ वर्ग गज या इससे अधिक क्षेत्रफल में बने किसी भी प्लॉट/फलैट का स्वामी नहीं है।

(vii) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य वातानुकूलक (ए.सी.) का स्वामी नहीं है।

(viii) मैं या मेरे परिवार (household) का कोई भी सदस्य चौपहिया मोटर वाहन (जैस कार, वैन, जीप, फोरव्हीलर, ट्रक इत्यादि) का स्वामी नहीं है।

(ix) मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राज्य सरकार, भारत सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या परिषद/सहकारिता/फर्म/उपक्रम इत्यादि, स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका या सुधार न्यास इत्यादि का कर्मचारी नहीं है।

(x) सभी मदों से मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य की वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक नहीं है।

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दिए गए सभी तथ्य मेरे सवोत्तम ज्ञान पर आधारित है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि दिये गये उपरोक्त तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं, तो मैं किसी विधिक कार्रवाई के लिए दायी हूँगा/हूँगी। मैं यह घोषणा भी करता हूँ/करती हूँ कि मैं सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित जुमार्ने/ब्याज सहित उत्पाद/सहायता का बाजार मूल्य वापस करने के लिए दायी हूँगा/हूँगी। भविष्य में, यदि मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अपात्र बन जाता है, तो मैं जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक को समय पर सूचित करने के लिए बाध्य हूँगा/हूँगी और ऐसी योजनाओं के अधीन दिए जाने वाला कोई लाभ प्राप्त नहीं करूंगा/करूंगी।

स्थान : .... हस्ताक्षर ....

दिनांक : .... नाम : ....

अनुसूची–III

सतर्कता समिति की संरचना

(देखिए नियम 24)

(i) गांव/वार्ड स्तरीय सतर्कता समिति

क्रम संख्या	ग्रामीण	क्रम संख्या	शहरी
1.	सरपंच– अध्यक्ष	1.	नगरपालिका पार्पद–अध्यक्ष(सम्बद्ध क्षेत्र)
2.	अनुसूचित जाति पंच–सदस्य (यदि सरपंच अनुसूचित जाति वर्ग का है तो पंच दूसरी जाति का)	2.	एक पुरूप तथा एक स्त्री–लाभार्थी सदस्य (एक विधवा तथा एक अशक्त अन्य प्राथमिक परिवार प्रवर्ग सदस्य)
3.	एक पुरूष तथा एक स्त्री–लाभार्थी सदस्य (एक विधवा तथा एक अशक्त अन्य प्राथमिक परिवार प्रवर्ग सदस्य)	3.	एक पुरूप तथा एक स्त्री–लाभार्थी सदस्य पिछड़े वर्ग प्रवर्ग (एक गरीबी रेखा से नीचे तथा एक अन्त्योदय अन्न योजना)
4.	एक पुरूप तथा एक स्त्री–लाभार्थी सदस्य (पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग (एक गरीबी रेखा से नीचे तथा एक अन्त्योदय अन्न योजना)	4.	एक पुरूप तथा एक स्त्री–लाभार्थी सदस्य, अनुसूचित जाति प्रवर्ग(एक गरीबी रेखा से नीचे तथा एक अन्त्योदय अन्न योजना)
5.	एक पुरूप तथा एक स्त्री–लाभार्थी सदस्य, अनुसूचित जाति प्रवर्ग (एक गरीबी रेखा से नीचे तथा एक अन्त्योदय अन्न योजना)		

(ii) खण्ड स्तर समिति

1.	ब्लाक समिति का निर्वाचित मुखिया–	अध्यक्ष
2.	एक पुरूप तथा एक स्त्री–लाभार्थी, (एक अन्त्योदय अन्न योजना तथा एक गरीबी रेखा से नीचे) (जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा नामांकित)	सदस्य
3.	एक पुरूप तथा एक स्त्री लाभार्थी (एक अशक्त तथा एक विधवा, अन्य प्राथमिक परिवार प्रवर्ग) (जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा नामांकित)	सदस्य
4.	एक सामान्य तथा एक अनुसूचित जाति। दो में से एक स्त्री सदस्य हो (जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा नामांकित)	सदस्य
5.	प्रणाली समाकलक का प्रतिनिधि (ई–पी.ओ.एस. मशीन)	सदस्य
6.	सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी	सदस्य–सचिव
7.	खण्ड विकास तथा पंचायत अधिकारी	विशेप आमन्त्रिती सदस्य

(iii) जिला स्तर समिति

1.	उपायुक्त	अध्यक्ष
2.	अपर उपायुक्त	सदस्य
3.	दो सरपंच(उपायुक्त द्वारा नामांकित)	सदस्य
4.	विभिन्न खण्डों से दो नगरपालिका पार्षद (उपायुक्त द्वारा नामांकित)	सदस्य
5.	सात राशन कार्डधारक(कम से कम तीन महिलाएं) (जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा नामांकित) प्रत्येक भिन्न खण्ड/नगर से (कम से कम एक विधवा तथा एक अशक्त, दो अन्य प्राथमिक परिवार/दो अन्त्योदय अन्न योजना/एक गरीबी रेखा से नीचे)	सदस्य
6.	उपभोक्ता मामलों के लिए कार्य करने वाली गैर सरकारी संस्था (जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक द्वारा नामांकित)	सदस्य
7.	पुरूष तथा स्त्री सामाजिक कार्यकर्ता (प्रत्येक एक)	सदस्य
8.	प्रणाली समाकलक का प्रतिनिधि(ई–पी.ओ.एस. मशीन)	सदस्य
9.	जिला प्रबन्धक, कॉन्फेड	सदस्य
10.	जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	सदस्य–सचिव

(iv) राज्य स्तरीय सतर्कता समिति

1.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले मंत्री, हरियाणा सरकार।	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग।	सदस्य
3.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, महिला तथा बाल विकास विभाग।	सदस्य
4.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग।	सदस्य
5.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय विकास विभाग।	सदस्य
6.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग।	सदस्य
7.	महानिदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग।	सदस्य–सचिव

राम निवास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, चण्डीगढ़।